अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2002

का.आ. 1115(अ).— **जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग** के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की विनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 591(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जरपान नासरपुर विभाग केलवानी मंडल वाड़ी, डाकघर वाड़ी, तालुका मंगरोल, जिला सूरत,द्वारा कोसाम्बा (आर0एस0) गुजरात द्वारा वाड़ी, मंगरोल, जिला सूरत, गुजरात में लड़कियों के लिए हाईस्कूल भवन और छात्रावास के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जरपान नासरपुर विभाग केलवानी मंडल वाड़ी, डाकघर वाड़ी, तालुका मंगरोल, जिला सूरत,द्वारा कोसम्बा (आर0एस0) गुजरात द्वारा वाड़ी, मंगरोल, जिला सूरत, गुजरात में लड़कियों के लिए हाईस्कूल भवन और छात्रावास के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र उन्हत्तर लाख, चौवन हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 313-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)